संख्या कार्मिक(प्रा0नि0– I)7(जी)6–1/2019
हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(प्राप्ति एवं निर्गम अनुभाग– I)

प्रेषक

सचिव(सचिवालय प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

राज्य सूचना अधिकारी एस0आई0ओ0
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र एन0आई0सी0
छटी मंजिल आरमजडेल भवन शिमला–2

दिनांक शिमला–171002 29 फरवरी, 2020

विषयः– हिमाचल प्रदेश सचिवालय में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों की लिवरी सम्बन्धी जैकट को क्रय करने के लिए निविदाऐं आमन्त्रित करने बारे।

महोदय

हिमाचल प्रदेश सचिवालय में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष के लिए लिवरी सम्बन्धी जैकट के क्रय हेतु दर संविदा का निर्धारण किया जाना है जिसकी निविदा सूचना की प्रति संलग्न की जा रही है। अतः यदि आप निविदा देने के इच्छुक हो तो तय की गई दरों अनुसार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपनी फर्म/इकाई की दरें तथा लिवरी सम्बन्धी जैकट के सैम्पल प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय,

(पुष्प लता सिंघा)
उप सचिव(सचिवालय प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

श्री संजय शर्मा
29-2-2020

पोषाक निविदा सूचना

हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिवालय में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों के लिए वर्ष 2019–2020 के लिए लिवरी सम्बन्धी जैकट के चयन/क्रय हेतु हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोधोग बोर्ड हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प हथकरघा निगम हिमाचल इम्पोरियम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य की अन्य औधोगिक इकाई तथा प्राधिकृत विक्रेताओं से मोहर बन्द लिफाफे में निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है।

क0सं0	मद का नाम	दरें
1.	जैकट(रंग खाकी)	1011/–रू

ये निविदा दिनांक 05.03.2020 तक उप सचिव(सचिवालय प्रशासन) के कार्यालय में पंजीकृत पत्र द्वारा सील बन्द लिफाफे में पहुंच जानी चाहिए। यदि दिन कोई अवकाश घोषित हो तो निविदा अगले दिन प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाओं को 07.03.2020 में उप सचिव महोदय की उपस्थिति में खोला जाऐगा। राज्य की अन्य औधोगिक इकाई की निविदा के साथ पात्रता एवं पंजीकरण पत्र संल्गन करना अनिवार्य होगा।

दरें एफ0ओ0आर0 लक्ष्य स्थल दर्शानी होगी, तथा सामान की आपूर्ति–आपूर्ति आदेश की प्राप्ति के 40 दिनों के अन्दर करनी अनिवार्य होगी। प्रत्येक इकाई/फर्म को निविदा के साथ 5000/–रू की प्रतिभूति राशि उप सचिव(सचिवालय प्रशासन) के नाम प्रतिश्रुत करवानी होगी, जिसे सामान के अन्तिम चयन एवं दर ठेका समाप्त होने पर लौटा दिया जाऐगा।

निविदा देने वाले का यह पूर्ण दायित्त्व होगा, कि वे चयन के बाद 15 दिनों के अन्दर अपने सैम्पलों को वापिस ले जाऐं यदि उनका अनुमोदन नही होता है, अन्यथा उन्हें जब्त माना जाएगा। सरकार के पास बिना कारण बताए निविदाओं को स्वीकार एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आरक्षित है।

उप सचिव(सचिवालय प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार